Recd
12-5-22
Time - 13:30

प्रेषक

विमल प्रकाश आर्य
अपर सत्र न्यायाधीश(F. T. C.) झाँसी।
(चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में

श्रीमान महानिबन्धक महोदय
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद (प्रयागराज) ।
उत्तर प्रदेश ।

द्वारा

श्रीमान जनपद न्यायाधीश
झाँसी ।

विषयः- श्री चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट, श्री रमेश यादव एडवोकेट, श्री संतोष कुमार दोहरे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), श्री अरविन्द पुत्र मोहन लाल एडवोकेट (संतोष दोहरे का जूनियर, श्री प्रमोद मिश्रा एडवोकेट व अन्य अधिवक्ताओं द्वारा झूठी शिकायतें करने व न्यायालय पर अनुचित दवाब बनाने के लिए न्यायालय परिसर में शामियाना (टेन्ट) लगाकर दिनाँक 22.02.2022 से दिनाँक 24.02.2022 तक न्यायालय कार्यावधि में धरना- प्रदर्शन, नारेबाजी व शोर- शराबा कारित करने व न्यायकि कार्यवाही में बाधा कारित किये जाने पर अवमानना की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय

सादर ससम्मान अवगत कराना है कि जनपद झाँसी में मेरे द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात से श्री रमेश कुमार यादव एडवोकेट के बार अध्यक्ष पर(लगभग दो वर्ष के कार्यकाल) पर रहने के दौरान कभी भी किसी भी पक्षकार/ अधिवक्ता ने मेरे विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई भी शिकायती प्रार्थनापत्र मेरे कार्य , व्यवहार, आचरण व सत्यनिष्ठा के बावत नहीं दिया ।

जब वर्ष 2021 में श्री रमेश कुमार यादव एडवोकेट बतौर बार के अध्यक्ष पद पर नहीं रहे उसके पश्चात उक्त अधिवक्ता ने न्यायालय पर सिफारिश एवं दवाब बनाने का अनुचित प्रयास किया, न्यायालय द्वारा किसी सिफारिश एवं दवाब को न मानने पर उक्त अधिवक्ता ने दिनाँक 26.10.2021 को झाँसी के टॉप टेन अपराधिक प्रवृत्ति के अपराधी चरित्र वाले अधिवक्ता श्री चन्द्र शेखर शुक्ला के साथ षडयन्त्र के तहत साजिशन अन्य कुछ अधिवक्ताओं से मिलकर फर्जी तरीके से

8/1

शिकायत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया और इस शिकायती प्रार्थनापत्र के साथ 70 अधिवक्ताओं के गलत व फर्जी तरीके से उन्हें बिना बताये हस्ताक्षर भी कराये गये(**संलग्नक सं० 1 छायाप्रति शिकायती प्रार्थनापत्र दिनाँकित 26. 10. 2021)** जबकि हस्ताक्षर करने वाले अधिकांश अधिवक्ताओं का कोई भी मुकददमा मेरे न्यायालय में विचाराधीन ही नहीं है।

प्रत्येक अधिवक्ता के कृत्यों का विवरण निम्नवत हैः-

1. श्री चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट

यह अधिवक्ता जिनका थाना नवाबाद जनपद झाँसी में आपराधिक इतिहास(H. S.) No. 27A है, और जिस पर लगभग 60 से अधिक फौजदारी मामले विचाराधीन हैं। उक्त अधिवक्ता के आपराधिक कृत्यों का विवरण निम्नवत हैः-

(a). उक्त अधिवक्ता ने अपने कुछ साथी अधिवक्ताओं के साथ मिलकर दिनाँक 23. 02. 2010 को तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के कोर्ट मोहर्रिर के साथ न केवल मारपीट की बल्कि अन्य न्यायालयों में भी सरकारी सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त किया जिसकी सूचना तत्कालीन मा० जनपद न्यायाधीश श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह ने मा० उच्च न्यायालय को अपने पत्रांक सं० 442/ XV दिनाँक 23. 02. 2010 द्वारा प्रेषित की। **(संलग्नक सं० 1/ 1 लगायत 1/ 2 छायाप्रति)** जिसके आधार पर उसके व उसके साथियों के विरूद्व मु०अ०सं० 85/ 2010 u/ ss 147, 148, 149, 352, 440, 332, 307, 308, 353/ 34 I. P. C. व धारा 3/ 4 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम व धारा 7 क्रि० लॉ एमेन्डमेन्ट एक्ट थाना नवाबाद जनपद झाँसी में पंजीकृत किया गया।

(b). उक्त अधिवक्ता ने श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय के कार्यालय के साथ- साथ अन्य न्यायालयों व कार्यालयों में भी तोड़- फोड़ की व अफरातफरी कारित की। **(संलग्नक सं० 1/ 3 लगायत 1/ 9 छायाप्रति)**

(c). उक्त अधिवक्ता के विरूद्व उक्त मामला पंजीकृत होने पर उसके द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र सं० 236 / 2010 प्रस्तुत किया गया जो दिनाँक 29. 03. 2021 को उसके कृत्यों का उल्लेख करते हुए निरस्त किया गया। **(संलग्नक सं० 01/ 10 लगायत 1/ 13 छायाप्रति)**

(d). उक्त अधिवक्ता एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके विरूद्व लगभग 60 से अधिक मामले विभिन्न थानों व जनपदों व राज्यों में विचाराधीन हैं और जिसकी आपराधिक इतिहास सं० **(H. S. No.) 27A** है। **(संलग्नक सं० 01/ 14 लगायत 1/ 15 छायाप्रति)**

(3/2)

(e). उक्त अधिवक्ता के विरूद्व अवमानना प्रार्थनापत्र(फौजदारी) 8/ 2010 In Re Vs Sri Chandra Shekhar Shukla and others में दिनाँक 27. 09. 2010 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नवत आदेश पारित किया गया:-

"An affidavit has been preferred on 09. 09. 2010 by the opposite parties tendering unconditional apology as well as that they will not commit any act **in future** lowering the dignity and magisty of any court. Besides that it was brought to our notice that criminal proceedings have been drawn against the opposite parties and for a considerable period they remained in jail and now they are bailed out. In these circumstances, we accept the apology and discharge the contempt notice against the opposite parties." **(संलग्नक सं० 01/ 16 छायाप्रति)**

(f). उक्त अधिवक्ता ने जिला अधिवक्ता संघ के नाम से अपने कुछ साथी अधिवक्ताओं के नाम से मेरी झूठी शिकायत मा० प्रशासनिक न्यायमूर्ति मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद की ,जो बार के पैड पर थी ही नहीं **(संलग्नक सं० 01)** जबकि बार के अध्यक्ष व सचिव आदि द्वारा मेरी कोई भी शिकायत कभी भी नहीं की गयी। इस बावत अध्यक्ष व सचिव की आख्या उनके पेड पर संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक सं० 01/ 17 लगायत 1/ 18 छायाप्रति)** इस प्रकार उक्त अधिवक्ता ने जिला अधिवक्ता संघ झाँसी के नाम का गलत उपयोग मेरी शिकायत करने में किया।

(g). उक्त अधिवक्ता ने मेरे विरूद्व अपने पक्षकारों से अमर्यादित तरीके से झूठे व बनावटी तथ्यों के आधार पर झूठी शिकायतें भी कीं, जिनका विवरण निम्नवत है:-

(i). S. T. No. 169/ 2017 राज्य बनाम अमान में साक्षी दारा सिंह द्वारा प्रस्तुत अन्तरण प्रार्थनापत्र सं०- 411/ 2021 दिनाँकित 10. 11. 2021 जिसे चन्द्रशेखर शुक्ला ने प्रस्तुत किया था। **(संलग्नक सं० 01/ 19 लगायत 1/ 20 छायाप्रति)**

(ii). S. T. No. 11/ 2017 राज्य बनाम डालचन्द्र आदि में अभियुक्त महेन्द्र कुमार वर्मा उर्फ रिंकू व डालचन्द्र वर्मा उर्फ डब्बू द्वारा प्रस्तुत अन्तरण प्रार्थनापत्र सं०- 412/ 2021 दिनाँकित 10. 11. 2021 जिसे चन्द्रशेखर शुक्ला ने प्रस्तुत किया था। **(संलग्नक सं० 01/ 21 लगायत 1/ 22 छायाप्रति)**

(h). उक्त अधिवक्ता के द्वारा दिनाँक 17. 08. 2021 को S. T. No. 169/ 2017 राज्य बनाम

8/3

अमान आदि थाना रक्सा की पत्रावली में दिनाँक 17. 08. 2021 को साक्षी दारा सिंह की ओर से बिना वकालतनामा के साक्षी का वारण्ट रिकाल प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया(**संलग्नक सं० 01/ 23 छायाप्रति)** और न्यायालय के आदेश के बिना उक्त अधिवक्ता ने साक्षी का मु० 10,000/ - रूपये का निजी बन्ध पत्र भी निष्पादित कर दिया ।(**संलग्नक सं० 01/ 24 छायाप्रति)** ।

उक्त अधिवक्ता को जब न्यायालय द्वारा नोटिस दिया गया तो उक्त अधिवक्ता ने गलत व भ्रामक आख्या प्रस्तुत की जिसमें यह कथन किया कि " उसने साक्षी दारा सिंह के फोटो व हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है " जबकि वारण्ट रिकाल प्रार्थनापत्र पर साक्षी का कहीं कोई फोटो चस्पा नहीं था और न ही चन्द्र शेखर शुक्ला ने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया **(संलग्नक सं० 01/ 25 छायाप्रति)**

(i). उक्त अधिवक्ता ने दिनाँक 01. 10. 2021 को सत्र परीक्षण सं०- 11/ 2017 राज्य बनाम डाल चन्द्र उर्फ बल्लू आदि की पत्रावली के बावत गलत तथ्यों के आधार पर दिनाँक 01. 11. 2021 को श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को झूठा शिकायती प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। **(संलग्नक सं० 01/ 26 छायाप्रति)**

(j). उक्त अधिवक्ता ने दिनाँक 02. 12. 2021 को श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को सम्मन दिनाँकित 30. 11. 2021 तारीख पेशी दिनाँकित 24. 12. 2021 के बावत झूठा शिकायती प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया **(संलग्नक सं० 01/ 27 छायाप्रति)** और एक शपथपत्र निष्पादित किया जो दिनाँकित 03. 12. 2021 का है, यह शपथपत्र समक्ष माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय मा० उच्च न्यायालय प्रयागराज (इलाहाबाद) द्वारा माननीय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदया झाँसी को संबोधित है, **(संलग्नक सं० 1/ 28 लगायत 01/ 30 छायाप्रति)** जिसकी एक प्रति माननीय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश झाँसी को प्रेषित की गयी। इस शिकायती प्रार्थनापत्र के साथ अभियुक्त ने तथाकथित एक किता जुडवा सम्मन की छायाप्रति संलग्न की, **(संलग्नक सं० 01/ 31 छायाप्रति)** ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह सम्मन अभियुक्त पर शिकायत करने की तिथि अर्थात 02. 12. 2021 पर तामील ही नहीं हुआ था , यह शिकायती एक किता सम्मन जुड़वा था जिसकी एक प्रति पर सफेदा लगा हुआ था।

(k). उक्त अधिवक्ता ने दिनाँक 16. 12. 2021 को श्रीमान जनपद एवं सत्र न्यायाधीश झाँसी के समक्ष अन्तरण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 408 दं०प्र०सं० चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट बनाम सरकार उ०प्र० के नाम से प्रस्तुत किया, **(संलग्नक सं० 01/ 32 छायाप्रति)** और इस अन्तरण प्रार्थनापत्र के समर्थन में भी अभियुक्त ने शपथपत्र निष्पादित किया ।**(संलग्नक सं० 01/ 33 लगायत 1/ 34**

छायाप्रति) और इस शिकायती प्रार्थनापत्र के साथ अभियुक्त ने पुनः तथाकथित एक किता जुड़वा सम्मन की छायाप्रति संलग्न की । **(पूर्व में संलग्नक सं० 01/ 31 छायाप्रति)**

नोटः- पैरा 11 व पैरा 12 में शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल तथाकथित एक किता जुड़वा सम्मन अभियुक्त पर शिकायत करने की तिथि व अन्तरण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की तिथि पर कभी तामील ही नहीं हुआ था और यह शिकायती एक किता सम्मन जुड़वा था जिसकी एक प्रति पर सफेदा लगा हुआ था ।

इस संबंध में सहायक लिपिक द्वारा भी आख्या प्रस्तुत की गयी है जिसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है । **(संलग्नक सं० 01/ 35 छायाप्रति)**

(l). उक्त अधिवक्ता ने अपने प्रार्थनापत्र दिनाँकित 05. 01. 2022 में प्रथम बार यह स्वीकार किया है कि क्रि०मि०नं० 429/ 2021 की पत्रावली के बावत उसे एक सम्मन प्रेषित किया गया था जो थाना नवाबाद की पुलिस द्वारा दिया गया था । **(संलग्नक सं० 01/ 36 छायाप्रति)**

नोटः यह वही सम्मन है जो दिनाँक 23. 12. 2021 को अभियुक्त पर तामील हुआ था । चूँकि जब अभियुक्त पर यह सम्मन दिनाँक 23. 12. 2021 से पूर्व कभी तामील ही नहीं हुआ तो उसने किस आधार पर तथाकथित एक किता जुड़वा सम्मन जिसके एक भाग पर सफैदा लगा हुआ है, के आधार पर पैरा 1 **(j)** व पैरा 1 **(k)** में वर्णित शिकायती प्रार्थनापत्र व अन्तरण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया ।

(जनपद एवं सत्र न्यायालय द्वारा प्राप्त, अभियुक्त चन्द्र शेखर एडवोकेट पर दिनाँक 23. 12. 2021 को तामील शुदा एक किता सम्मन की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति संलग्नक सं० 1/ 37 लगायत 1/ 38)

(जनपद एवं सत्र न्यायालय द्वारा प्राप्त फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं० 429/ 2021 के सूचीपत्र की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति संलग्नक संख्या 1/ 39)

(जनपद एवं सत्र न्यायालय द्वारा प्राप्त फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं० 429/ 2021 के आदेश पत्र दिनाँकित 24. 12. 2021 की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति संलग्नक संख्या 1/ 40)

(m). उक्त अधिवक्ता को बार काउन्सिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा विधि व्यवसाय करने से निषेधित किया जा चुका है । **(संलग्नक सं० 01/ 41 छायाप्रति)**

(n). उक्त अधिवक्ता को बार काउन्सिल ऑफ इन्डिया द्वारा भी दिनाँक 14. 03. 2006 को

8/5

विधि व्यवसाय करने से निषेधित किया जा चुका है।**(संलग्नक सं० 01/42 लगायत 1/43 छायाप्रति)**

(o). उक्त अधिवक्ता के गलत कार्यों के बावत तत्कालीन श्रीमान अध्यक्ष व सचिव जिला बार एशोसिएशन झाँसी उ०प्र० ने दिनाँक 18. 06. 2005 को जिला अधिकारी झाँसी को भी पत्र प्रेषित किया था जिसमें यह उल्लिखित किया कि "जनपद न्यायालय झाँसी में चन्द्रशेखर शुक्ला नाम का व्यक्ति वकालत कर रहा है। उक्त व्यक्ति बाँदा का मूल निवासी है। उपरोक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एक आपराधिक व्यक्ति जनपद महोबा व जनपद झाँसी का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, उसके विरूद्व महोबा व झाँसी में कुल मिलाकर 35 मुकददमें पंजीकृत हुए हैं। उक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट को आपराधिक गतिविधियों के कारण जिला अधिवक्त संघ झाँसी में उनकी सदस्यता समाप्त कर उसके पंजीयन निरस्त किये जाने का प्रस्ताव बार काउन्सिल ऑफ उ०प्र० को भेज दिया गया है जिसकी कार्यवाही बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया में विचाराधीन है। उक्त व्यक्ति अलीगढ़ में कभी नहीं रहा है। इसी प्रकार इसने एक रिवाल्वर का लाइसेन्स ललितपुर का पता देकर बनवाया था, बाद में जिला मजिस्ट्रेट को जब जानकारी करायी गयी तब उसका लाइसेन्स निरस्त किया गया है। उक्त चन्द्र शेखर शुक्ला का आपराधिक इतिहास व ललितपुर के जिला मजिस्ट्रेट का लाइसेन्स निरस्त का आदेश संलग्न है।" **(संलग्नक सं० 1/44 छायाप्रति)**

(p). उक्त अधिवक्ता के आपराधिक कृत्यों के बावत मामला विधान सभा में भी उठाया गयाऔर नियम 111 के अन्तर्गत **तत्कालीन मुख्य मंत्री मा० मुलायम सिंह यादव द्वारा प्रमुख सचिव विधान परिषद उ०प्र० द्वारा जो सूचना प्रदान की गयी उसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-**

" दिनाँक 23. 07. 2004 को पुलिस प्रशासन झाँसी द्वारा जारी की गयी अपराधियों की सूची के शीर्ष क्रमों में श्री चन्द्रशेखर शुक्ल का नाम दिया गया है। श्री शुक्ल इससे पूर्व महोबा के हिस्ट्रीशीटर अपराधी रहें हैं तथा महोबा में उनकी हिस्ट्रीशीट सं०- 33A थी। महोबा में उनकी बढ़ती हुई अत्याधिक आपराधिक गतिविधियों के फलस्वरूप उनको जिला **महोबा से जिला बदर कर दिया गया था**, इसके पश्चात ये झाँसी आकर आपराध की दुनिया में लिप्त हो गये तथा झाँसी में उनकी हिस्ट्रीशीट खुल गयी है जिसका नं०- 27 है" ।

" **झाँसी में इन पर लगभग 40 मुकदमें चल रहे हैं**, जिनमें कोआपरेटिव बैंक के पीछे श्रीमती मीरा गुप्ता के **मकान पर कब्जा करने का प्रयास करने**, **अपराध करने हेतु गाड़ी में नीली बत्ती लगाकर घूमने, फर्जी पते देकर रिवाल्वर व राईफल के लाईसेंस प्राप्त करने**, बिना

मानचित्र पास कराये भवन का निर्माण करना, **अनेक भवनों / भूखण्डों पर अनधिकृत रूप से कब्जा करना तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट झाँसी के साथ अभद्रता करना आदि शामिल हैं।** अभियुक्त पर अब तक कोई कार्यवाही न कर तथा अभियुक्त को गिरफ्तार न कर उसको संरक्षण दिये जाने का ही प्रयास किया जा रहा है।" **(संलग्नक सं० 1/ 45 लगायत 1/ 47 छायाप्रति)**

(q). उक्त अधिवक्ता आपराधिक प्रकरण क्रं० 815/ 2006 संस्थापित दिनाँक 26. 09. 2005 में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा थाना निवाड़ी **जिला टीकमगढ़ (म०प्र०)** बनाम संतराम उर्फ संतू पाल एवं 10 अन्य में दिनाँक 11. 08. 2015 को दोषसिद्व किया जा चुका है। **(संलग्नक सं० 1/ 48 लगायत 1/ 58 छायाप्रति)**

(r). उक्त अधिवक्ता द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश झाँसी को दिये शिकायती प्रार्थनापत्र दिनाँकित 02. 12. 2021 (संलग्नक सं० 01/ 28 छायाप्रति) व उसके समर्थन में निष्पादित शपथपत्र दिनाँकित 03. 12. 2021 (संलग्नक सं० 1/ 29 लगायत 01/ 31 छायाप्रति) के पैरा 05 व श्रीमान जनपद न्यायाधीश झाँसी को दिये शिकायती प्रार्थनापत्र दिनाँकित 12. 11. 2021 **(संलग्नक सं० 01/ 59 छायाप्रति)** में जिन पत्रावलियों के बावत झूठा कथन किया है, उसके सम्बन्ध में निम्नलिखित निवेदन करना है:-

(i). शिकायतकर्ता ने सत्र परीक्षण सं० 138/ 2012 राज्य बनाम बाँबी अहिरवार अन्तर्गत धारा 302, 504 I. P. C. में दिनाँक 10. 08. 2021 के बावत जो शिकायत की है, वह असत्य व निराधार है।

वास्तविकता यह है कि चन्द्र शेखर शुक्ला उक्त पत्रावली में अभियुक्त के अधिवक्ता नहीं है।

द्वितीय यह कि उक्त पत्रावली में दिनाँक 10. 08. 2021 को साक्षी मो० नसीम खाँ (सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक) वास्ते साक्ष्य प्रातःकाल से भोजनावकाश के उपरान्त तक वास्ते साक्ष्य उपस्थित रहे लेकिन उक्त तिथि पर न तो अभियुक्त उपस्थित आया और न ही उसके द्वारा कोई हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र दिया गया, इस कारण साक्षी का साक्ष्य अंकित नहीं किया जा सका। **(जनपद एवं सत्र न्यायालय झाँसी से प्राप्त आदेश पत्र दिनाँकित 10. 08. 2021 की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति संलग्न सं० 1/ 60 छायाप्रति)**

(ii). शिकायतकर्ता ने सत्र परीक्षण सं० 142/ 2008 राज्य बनाम धीरेन्द्र श्रीवास आदि अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 307 I. P. C. में दिनाँक 30. 09. 2021 व 09. 11. 2021 के बावत जो शिकायत की है, वह असत्य व निराधार है।

वास्तविकता यह है कि चन्द्र शेखर शुक्ला उक्त पत्रावली में भी अभियुक्त के अधिवक्ता नहीं है।

द्वितीय यह कि उक्त पत्रावली में दिनाँक 30. 09. 2021 को अभियुक्त अयोध्या गैर हाजिर रहा और इस तिथि पर कोई भी साक्षी उपस्थित नहीं आया था।

अभियुक्त ने अपने वारण्ट रिकाल प्रार्थनापत्र व शपथपत्र में स्पष्ट रूप से यह कहा कि जिला अधिकारी झाँसी के आदेश से वह अन्य मुकददमें में जिला बदर चल रहा था इस कारण दिनाँक 30. 09. 2021 को हाजिर नहीं आ सका था दिनाँक 22. 10. 2021 की जानकारी न होने पर वह हाजिर नहीं हो सका। उसने पत्रावली का दिनाँक 08. 11. 2021 को मुआयना कराया तब उसे दो तिथियों के वारण्ट की जानकारी हुई। **(जनपद एवं सत्र न्यायालय झाँसी से प्राप्त आदेश पत्र दिनाँकित 30. 09. 2021 लगायत 09. 11. 2021 की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति संलग्नकसं० 1/ 61 लगायत 01/ 62 व जनपद एवं सत्र न्यायालय झाँसी से प्राप्त वारण्ट रिकाल प्रार्थनापत्र व शपथपत्र दिनाँकित 09. 11. 2021 की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति संलग्नक सं० 1/ 63 लगायत 1/ 64)**।

2. श्री रमेश कुमार यादव एडवोकेट

(a). उक्त अधिवक्ता ने दिनाँक 03. 12. 2021 को प्रेषित अपने शिकायती प्रार्थनापत्र **(संलग्नक कागज सं० 2/ 1 लगायत 2/ 3 छायाप्रति)** में कुछ सत्र परीक्षणीय वादों के बावत झूठी व बनावटी शिकायतें की जबकि कुछ पत्रावलियों में वे स्वयं अधिवक्ता भी नहीं है , जिनका विवरण निम्नवत है:-

(i) S. T. No. 55/ 2010 राज्य बनाम भूपेन्द्र का जो उल्लेख किया है। वह पूर्णतया असत्य है।

वास्तविकता यह है कि उक्त प्रकरण में दिनाँक 11. 02. 2021 को साक्षी देवेन्द्र सिंह कुशवाहा (S. D. P. O.) शिवपुरी मध्य प्रदेश, वास्ते साक्ष्य उपस्थित आये थे और इस तिथि अर्थात दिनाँक 11. 02. 2021 को रमेश यादव एडवोकेट ने अभियुक्त का कोई हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया बल्कि अपने जूनियर अधिवक्ता केवल कृष्ण यादव के माध्यम से हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करवाया, जबकि केवल कृष्ण यादव का कोई वकालतनामा दाखिल नहीं था, उसके बावजूद न्यायालय द्वारा रमेश यादव एडवोकेट को न्यायालय में कार्यरत अर्दली के माध्यम से सूचना भिजवायी गयी, जिसने आदेश पत्र के हासिये पर इस तथ्य का पृष्ठांकन भी किया है, किन्तु अधिवक्ता

नही आये तत्पश्चात न्यायालय द्वारा अभियुक्त का हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र वकालतनामा के अभाव में निरस्त कर दिया गया, उसके पश्चात अभियुक्त द्वारा पुनः द्वितीय प्रार्थनापत्र मय वकालतनामा अपने हस्ताक्षर से परस्तुत करवाया। चूँकि अभियुक्त का पूर्व हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र वकालतनामा के अभाव मे निरस्त किया जा चुका था। अतः द्वितीय हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का कोई औचित्य ही नही था।(**जनपद एवं सत्र न्यायालय झाँसी से प्राप्त आदेश पत्र दिनाँकित 11. 02. 2021 की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति संलग्नक कागज सं० 2/ 4 लगायत 2/ 5)**

(ii) S. T. No. 244/ 2019 राज्य बनाम सुधीर कुशवाहा की पत्रावली के बावत उक्त अधिवक्ता ने यह झूठी व बनावटी शिकायत की है कि दिनाँक 05. 01. 2021 को जारी NBW पर अभियुक्त दिनाँक 20. 01. 2021 को गिरफ्तार होकर मात्र एक तिथि के वारण्ट पर जेल भेज दिया गया।

वास्तविकता यह है कि उक्त पत्रावली में कभी भी तिथि20. 01. 2021 नियत ही नहीं हुई और न ही दिनाँक 05. 01. 2021 के NBW पर अभियुक्त दिनाँक 20. 01. 2021 को गिरफ्तार होकर कभी जेल गया। **(जनपद एवं सत्र न्यायालय झाँसी से प्राप्त आदेश पत्र दिनाँकित 05. 01. 2021, 27. 01. 2021 व 20. 02. 2021 की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति संलग्नक कागज सं० 2/ 6)**

(iii) S. T. No. 168/ 2013 राज्य बनाम मनमोहन एवं अन्य की पत्रावली के बावत उक्त अधिवक्ता ने यह शिकायत की है कि उक्त मामले में मा० उच्च न्यायालय में समझौते के आधार पर इस न्यायालय से समझौतानामा तस्दीक होकर मा० उच्च न्यायालय भेजा जा चुका है फिर भी पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण में पास- पास की तिथियाँ लगाकर अभियुक्त को 3- 4 बजे से पहले तिथि प्रदान नहीं करते हैं।

वास्तविकता यह है कि उक्त पत्रावली में उचित तिथियाँ नियत की गयी। अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने हेतु कभी भी निर्देशित नहीं किया गया, बल्कि जिस अभियुक्त की हाजिरी माफी आ रही थी और जो शेष अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित आ रहे थे इस बावत उस तथ्य का उल्लेख किया गया तथा अभियुक्तगण को मा० उच्च न्यायालय के अद्यतन आदेश से अवगत कराने हेतु निर्देशित भी किया गया, जिसका अभियुक्तगण ने कोई अनुपालन नहीं किया। **(जनपद एवं सत्र न्यायालय झाँसी से प्राप्त आदेश पत्र दिनाँकित 27. 06. 2020 से दिनाँक 23. 02. 2022 की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति संलग्नक कागज सं० 2/ 7 लगायत 2/ 12)**

(Iv) S. T. No. 203/ 2013 राज्य बनाम महाराज एवं अन्य के मामले में उक्त अधिवक्ता द्वारा यह शिकायत की गयी है कि उक्त प्रकरण में पक्षद्रोही साक्ष्य होने के बावजूद एवं अभियुक्तगण द्वारा उनकी आर्थिक माँग की पूर्ति न कर पाने के कारण सजायाब किया गया।

न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय के बावत किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी करना न्यायालय की गरिमा के विपरीत है।

उक्त प्रकरण में श्री रमेश यादव एडवोकेट किसी भी अभियुक्त के अधिवक्ता नहीं हैं, उसके बावजूद उन्होंने यह झूठी व बनावटी शिकायत की है। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार निर्णय पारित किया गया है। जहाँ तक आर्थिक माँग की पूर्ति का कथन है इस संबंध में स्पष्ट करना है कि श्री रमेश यादव स्वयं एक भ्रष्ट एवं चरित्रहीन व्यक्ति हैं और अपने इसी भ्रष्ट आचरण व चरित्रहीन प्रकृति के कारण उन्होंने मेरे न्यायालय में विचाराधीन निम्नलिखित पत्रावलियाँ जो बहस व सफाई साक्ष्य हेतु नियत थी मेरे न्यायालय से मात्र इसलिये अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करवायी क्योंकि वह अपने हिसाब से फैसला चाहते थे।

(1). S. T. No. 157/ 2018 राज्य बनाम भानू प्रताप एवं अन्य अन्तर्गत धारा 364 I. P. C. थाना मऊरानीपुर।

(2). S. T. No. 09/ 2018 राज्य बनाम करन सिंह एवं अन्य अन्तर्गत धारा 308 I. P. C. थाना रक्सा।

(3). S. T. No. 55/ 2010 राज्य बनाम भूपेन्द्र एवं अन्य अन्तर्गत धारा302 I. P. C. थाना सीपरी बाजार।

(4). S. T. No. 380/ 2011 राज्य बनाम सन्तोष एवं अन्य अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 I. P. C. थाना मोंठ।

(5). S. T. No. 30/ 2010 राज्य बनाम दुर्गा प्रसाद एवं अन्य अन्तर्गत धारा308 I. P. C. थाना मोंठ।

(v). उक्त अधिवक्ता ने शिकायती प्रार्थनापत्र के पैरा 8 में जो तथ्य उल्लिखित किया है वह पूर्णतया असत्य व निराधार है। वास्तविकता यह है कि उक्त प्रकरण में दिनाँक 07. 05. 2021 को ही नियमानुसार आदेश पारित किया गया था।

उक्त अधिवक्ता ने अपने शिकायती प्रार्थनापत्र के पैरा 4, 5 व 6 में न्यायालय पर दबाव बनाने के उद्देश्य से गलत, झूठी व बनावटी शिकायत की है जिसका वास्तविकता से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है।

(b). श्री रमेश यादव एडवोकेट ने मु०अ०सं०- 507/ 2020 सरकार बनाम राजेन्द्र सिह यादव

उर्फ राजू जहरीला के मामले में शिकायतकर्ता संजय यादव पुत्र स्व० आजाद सिंह यादव के प्रार्थनापत्र दिनाँकित 16. 06. 2021 मय शपथपत्र **(संलग्नक कागज सं० 2/ 13 लगायत 2/ 16)** के आधार पर झूठी व बनावटी शिकायत करायी।

वास्तविकता यह है कि दिनाँक 14. 06. 2020 को उक्त पत्रावली में बहस पूर्ण नहीं हुई थी जिसका उल्लेख आदेश पत्र पर किया गया था।**(जनपद एवं सत्र न्यायालय से प्राप्त आदेशपत्र दिनाँकित 07. 05. 2021 से दिनाँक 14. 06. 2021 की सत्यप्रतिलिपि की छायाप्रति संलग्नक कागज सं० 2/ 17 लगायत 2/ 18)**

(c). उक्त अधिवक्ता व श्री चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट आदि ने शिकायती प्रार्थनापत्र **(संलग्नक सं०- 1)** के साथ कुछ ऐसे अभिलेखों की छायाप्रतियों को संलग्न किया है जो कि सरकारी अभिलेख हैं और साधारणतया ऐसे अभिलेख शिकायतकर्ता को प्राप्त होने का कोई उचित व पर्याप्त कारण नहीं है, उसके बावजूद उक्त अधिवक्ता ने ऐसे सरकारी अभिलेखों को गलत तरीके से प्राप्त कर शिकायत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न किया है, जिनका विवरण निम्नवत हैः-

(i) शिकायती प्रार्थनापत्र **(संलग्नक सं०- 1)** के साथ श्रीमान जनपद न्यायाधीश झाँसी के न्यायालय / कार्यालय में संरक्षित डाक बही की छायाप्रति संलग्न की है, जिसमें क्रम सं०- 1 पर 137/ C. A. O. / 11. 06. 2021 मोतीलाल पुत्र नत्थू, क्रम सं०- 2 पर 138/ C. A. O. / 17. 06. 2021 श्रीमती कमलेश देवी पत्नी स्व० रमेश बरार व क्रम सं०- 3 पर 139/ C. A. O. / 18. 06. 2021 संजय यादव पुत्र स्व० आजाद सिंह यादव के बावत अवगत कराना है कि उक्त दस्तावेज न्यायालय का अभिलेख है। **(संलग्नक कागज सं० 2/ 19 छायाप्रति)** उक्त सरकारी अभिलेख की छायाप्रति शिकायतकर्ता ने किस प्रकार से प्राप्त की इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है।

(ii) शिकायती प्रार्थनापत्र के साथ मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश को सत्र परीक्षण सं०- 11/ 17 राज्य बनाम डालचन्द्र उर्फ डल्लू आदि की पत्रावली स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में दिनाँक 12. 11. 2021 को प्रेषित पत्र की छायाप्रति है और यह अभिलेख भी सरकारी अभिलेख है। **(संलग्नक कागज सं० 2/ 20 छायाप्रति)**

(iii) शिकायती प्रार्थनापत्र के साथ सौरभ दुबे वरिष्ठ लिपिक द्वारा दिनाँक 20. 08. 2020 को प्रेषित स्पष्टीकरण की छायाप्रति संलग्न है और यह अभिलेख भी सरकारी अभिलेख है।

(संलग्नक कागज सं० 2/ 21 छायाप्रति)

(iv) शिकायती प्रार्थनापत्र के साथ आशीष कुमार शर्मा सहायक लिपिक द्वारा दिनाँक 20. 08. 2020 को प्रेषित स्पष्टीकरण की छायाप्रति है और यह अभिलेख भी सरकारी अभिलेख है। **(संलग्नक कागज सं० 2/ 22 छायाप्रति)**

(v) शिकायती प्रार्थनापत्र के साथ मनोज कुमार साहू द्वितीय पेशकार द्वारा दिनाँक 20. 08. 2020 को प्रेषित स्पष्टीकरण की छायाप्रति है और यह अभिलेख भी सरकारी अभिलेख है। **(संलग्नक कागज सं० 2/ 23 छायाप्रति)**

उक्त क्रम सं० 2 (C) में वर्णित समस्त सरकारी अभिलेख की छायाप्रतियाँ शिकायतकर्ता श्री रमेश यादव एडवोकेट व श्री चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट आदि ने अपने अन्य शिकायतकर्ता अधिवक्ताओं के साथ मिलकर किस प्रकार से प्राप्त की इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है। उक्त अभिलेख को अपनी अभिरक्षा में अवैध रूप से रखने के बावत उक्त अधिवक्तागण स्वयं दायी है।

(d) . उक्त अधिवक्ता एक झगढ़ालू व आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहता है, जिन्होंने दिनाँक 21. 02. 2022 को अपने साथी अधिवक्तागण सन्तोष कुमार दोहरे व अन्य अधिवक्ताओं के साथ मिलकर बार के सचिव श्री छोटे लाल वर्मा के साथ बलवा, गाली-गलौच, व जान से मारने की धमकी देने का अपराध किया जिसकी दिनाँक 23. 03. 2022 को F. I. R. No. 0120 U/ ss 147, 504, 506, 427 I. P. C. व 3(2) (va) SC/ ST (P. A.) Act के तहत मुकददमा पंजीकृत हुआ। **(संलग्नक सं० 2/ 24 लगायत 2/ 30 छायाप्रतियाँ)**

3. श्री संतोष कुमार दोहरे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)

उक्त अधिवक्ता के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त अधिवक्ता माह सितम्बर 2021 से 18. 02. 2022 तक बतौर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के पद पर मेरे न्यायालय में नियुक्त रहे। उक्त अधिवक्ता को कभी भी मुझसे माह सितम्बर 2021 से माह जनवरी 2022 तक किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं रही। **उक्त अधिवक्ता का व्यवहार दिनाँक 25. 01. 2022 से उग्र व आक्रामक हो गया जिसका संक्षिप्त में विवरण निम्नवत** है:-

8/12

(a). यह कि दिनाँक 24. 01. 2022 को **उक्त अधिवक्ता ने मेरे मोबाईल पर अपने मोबाईल नं० 9415502206 से** न्यायालय C. J. M. झाँसी में विचाराधीन प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा156 (3) दं० प्र० सं० प्रदीप कुमार मौर्य बनाम राजेश कुमार की पत्रावली में प्रदीप कुमार मौर्य के लिए **सिफारिश करने का अनुग्रह प्रेषित किया** जो इस प्रकार है" प्रदीप कुमार मौर्य बनाम राजेश कुमार धारा 156 (3) दं०प्र०सं० जा० फौ० थाना कोतवाली कल माननीय C. J. M. साहब के यहाँ बहस के लिये लगी है, हम लिखित बहस पेश कर देंगे, वादी प्रदीप जी हमारे बहनोई हैं, कृपया C. J. M. साहब से प्रार्थनापत्र स्वीकार करने के लिये कहने की कृपा करें।" **(संलग्नक सं० 3/ 1 छायाप्रति)** ।

(b). यह कि दिनाँक 25. 01. 2022 को उक्त अधिवक्ता ने पुनः अपने उक्त नं० से संदेश भेजा कि "**सर बात हो गयी क्या**" दि० 25. 01. 2022 को उक्त अधिवक्ता को मैंने प्रातः काल में अपने विश्राम कक्ष में बुलाकर डाँटा। उक्त अधिवक्ता को उसके इस प्रकार से सिफारिश करने के बावत मेरे द्वारा पूर्व में भी कई बार डाँटा जा चुका था। चूँकि प्रदीप कुमार मौर्य का मामला उसके सगे बहनोई का मामला था इस कारण मेरे द्वारा उक्त अधिवक्ता को डाँटे जाने से उक्त अधिवक्ता बहुत अधिक उग्र हो गया ।**(संलग्नक सं० 3/ 2 छायाप्रति)** ।

उक्त घटना के पश्चात से ही उक्त अधिवक्ता ने मेरे न्यायालय के खिलाफ साजिश रचना शुरू किया और झूठी व बनावटी शिकायतें करना प्रारम्भ कर दिया। माह जनवरी2022 से पूर्व उक्त अधिवक्ता / अन्य अधिवक्ता / किसी पक्षकार ने कभी भी व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई शिकायत नहीं की क्यौंकि सभी को इस तथ्य की भली- भाँति पूर्ण जानकारी है कि मेरे न्यायालय द्वारा बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष तरीके से कार्य किया जा रहा है।

(c). उक्त अधिवक्ता के कार्य, व्यवहार व आचरण के बावत मेरे द्वारा दिनाँक 07. 02. 2022 दिनाँक 15. 02. 2022 एवं दिनाँक 02. 03. 2022 को श्रीमान जिला अधिकारी झाँसी को सूचना प्रेषित की गयी व दि० 15. 02. 2022 के पत्र की प्रति श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को भी प्रेषित की गयी। **(दि० 15. 02. 2022 को प्रेषित पत्र की छायाप्रति संलग्नक सं० - 3 / 3 लगायत 3/ 5)** ।

उक्त अधिवक्ता के कृत्यों के बावत श्रीमान जिलाधिकारी झाँसी को दि० 02. 03. 2022 को पुनः सूचना प्रेषित की गयी।**(छायाप्रति संलग्नक सं० - 3 / 6 लगायत 3/ 9)** ।

(d). उक्त अधिवक्ता ने मेरे न्यायालय में दिनाँक 04. 02. 2022 से दिनाँक 18. 02. 2022

तक अपने पदीय कर्तव्यों के अधीन शासकीय कृत्यों का निर्वहन नहीं किया। उक्त अधिवक्ता ने दिनाँक 11. 02. 2022 को S. T. No. 286/ 2017 धर्मेन्द्र कुशवाहा बनाम उ०प्र० सरकार अन्तर्गत धारा 307, 504, 506 I. P. C. थाना कोतवाली जिला झाँसी की पत्रावली में कोई बहस नहीं की, जिसका उल्लेख मैंने जमानत आदेश में भी किया है। **(संलग्नक सं० 03/ 10 छायाप्रति)** ।

(e) . मेरे द्वारा श्रीमान जिला अधिकारी को प्रेषित पत्र की सूचना जब उक्त अधिवक्ता को हुई तब उक्त अधिवक्ता और अधिक उग्र हो गया और उसने श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को बनावटी व झूठी सूचना प्रेषित करने लगा जिसके आधार पर श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया ने अपने अर्द्ध शासकीय पत्रांक सं० 09/ D. J. / 2022 Dated February 15, 2022 के द्वारा (1) S. T. No. 153/ 2018 State Vs Sunil Raikwar U/ ss 411, 414 I. P. C. P. S. Prem Nagar की पत्रावली (जो दिनाँक 16. 02. 2022 को निर्णय हेतु नियत थी) व (2) S. T. No. 134/ 2014 State Vs Udai Singh U/ s 60 Ex. Act & 272 I. P. C. P. S. Prem Nagar की पत्रावली (जो दिनाँक 18. 02. 2022 को वास्ते निर्णय हेतु नियत थी), में अग्रिम आदेश तक निर्णय पारित न करने की सलाह दी, जिसके कारण उक्त पत्रावली में आज तक निर्णय पारित नहीं हो सका है और अभियुक्त सुनील रायकवार जिला कारागार झाँसी में निरूद्वहै। **(संलग्नक सं० 3/ 11 छायाप्रति)** ।

महोदय यह भी अवगत कराना है कि उक्त मामले में न तो अभियुक्त और न ही अभियुक्त के अधिवक्ता ने कोई स्थानांतरण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है, सिवाय श्री संतोष कुमार दोहरे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के।

(f) . उक्त अधिवक्ता ने दिनाँक 11. 02. 2022 को श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को एक झूठा व बनावटी शिकायती प्रार्थनापत्र प्रेषित किया और 60 फौजदारी पत्रावलियों को मेरे न्यायालय से स्थानांतरित करने हेतु प्रस्तुत किया। **(संलग्नक सं० 3/ 12 लगायत 3/ 14 छायाप्रति)**

अपने इसी पत्र में उक्त अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि "**पीठासीन अधिकारी पूर्ण रूप से पक्षद्रोही मुकददमें में भी अभियुक्तगण को कठोर सजा से दण्डित करने के आदि हो चुके हैं।**"

उक्त अधिवक्ता के उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि उक्त अधिवक्ता अभियोजन पक्ष का हितैषी नहीं है बल्कि अभियोजन पक्ष को प्रभावित करता है और अभियुक्त पक्ष का हितैषी है।

उक्त शासकीय अधिवक्ता द्वारा दिये गये उक्त पत्र के बावत श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया द्वारा एक अर्द्व शासकीय पत्रांक सं० 11/ D. J. / 2022 दिनाँकित 22. 02. 2022 जारी

किया गया। **(संलग्नक सं० 3/ 15 छायाप्रति)**

(g) . उक्त अधिवक्ता ने दिनाँक 14. 02. 2022 को श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को एक झूठा व बनावटी शिकायती प्रार्थनापत्र पुनः प्रेषित किया और 08 फौजदारी पत्रावलियों को मेरे न्यायालय से स्थानांतरित करने हेतु निवेदन किया । **(संलग्नक सं० 3/ 16 छायाप्रति)**

उक्त शासकीय अधिवक्ता द्वारा दिये गये उक्त पत्र के बावत श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया द्वारा एक अर्द्व शासकीय पत्रांक सं० 11/ D. J. / 2022 दिनाँकित 22. 02. 2022 जारी किया गया। **(संलग्नक सं० 3/ 17 छायाप्रति)**

सन्तोष दोहरे के कार्य, व्यवहार व आचरण के बारे मे, डी०जी०सी० (क्रिमिनल) को मेरे द्वारा मौखिक व प्रतिलिपि प्रेषित कर अवगत कराया गया था।

(h) . उक्त अधिवक्ता सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के रूप में कार्यरत होने के बावजूद अभियुक्तगण से मिला रहता है और अभियोजन पक्ष को प्रभावित करता है। उक्त अधिवक्ता का एक ग्रुप है जो एक- दूसरे के आपराधिक मामले में बयान देते हैं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर उक्त अधिवक्ता के विरूद्व दिनाँक 28. 08. 2019 को श्री मदन लाल बबेले एडवोकेट ने एक शिकायती प्रार्थनापत्र जिला अधिकारी झाँसी को दिया गया था। **(संलग्नक सं० 3/ 18 लगायत 3/ 19 छायाप्रति)**

(i) . उक्त अधिवक्ता ने दिनाँक 14. 02. 2022 को (1) . S. T. No. 226/ 2010 राज्य बनाम नासिर आदि, (2) . S. T. No. 214/ 2013 उ०प्र० राज्य बनाम गन्धर्व सिंह, (3) . S. T. No. 207/ 2016 उ०प्र० राज्य बनाम हरगोविन्द, (4) . S. T. No. 216/ 2017 उ०प्र० राज्य बनाम संजू आदि, (5) . S. T. No. 103/ 2018 उ०प्र० राज्य बनाम नन्दू @ नन्द किशोर मामले में मेरे न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर स्वंय यह स्वीकार किया है कि "**जब तक उसे हटाने जाने के बावत सक्षम अधिकारी का कोई आदेश नहीं आ जाता है, वह, मेरे न्यायालय में बहस करने में असमर्थ है।**"

(j) . उक्त अधिवक्ता जबकि मेरे न्यायालय में दिनाँक 19. 02. 2022 से कार्यरत नहीं है, उसके बावजूद वह अभियुक्त व उनके अधिवक्तागणों को भड़काता है और मेरे न्यायालय से अपनी- अपनी पत्रावलियाँ स्थानांतरित करने की अनुचित सलाह देता है जिनका विवरण निम्नवत है :-

(i) . S. T. No. 165/ 2013 राकेश कुशवाहा आदि बनाम उ०प्र० सरकार T. A. No.

8/15

68/ 2022 दिनाँकित 09. 02. 2022 । **(संलग्नक सं० 3/ 20 लगायत 3/ 21 छायाप्रति)**

(उक्त स्थानांतरण प्रार्थनापत्र के बावत **मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा** श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को **प्रेषित आख्या की छायाप्रति संलग्नक सं० 3/ 22**)

(ii) . S. T. No. 216/ 2017 संजू बनाम राज्य सरकार जरिये डी०जी०सी० (क्रिमिनल) T. A. No. 82/ 2022 दिनाँकित 22/ 23. 02. 2022 । **(संलग्नक सं० 3/ 23 लगायत 3/ 24 छायाप्रति**)

(iii) . S. T. No. 207/ 2016 हरगोविन्द आदि बनाम उ०प्र० सरकार T. A. No. 68/ 2022 दिनाँकित 09. 02. 2022 । **(संलग्नक सं० 3/ 25 लगायत 3/ 26 छायाप्रति)**

उपरोक्त मामलों में अभियुक्तगण द्वारा जो भी स्थानांतरण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये गये उनमें यही कथन किया गया है कि "**शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार दोहरे द्वारा बताया गया है कि यदि उक्त मुकददमें में अभियुक्तगण को बरी होना है तो पीठासीन अधिकारी की माँग पूर्ति करनी होगी अन्यथा उक्त मुकददमें में गवाह पक्षद्रोही होने के बावजूद भी सजा को तैयार रहना ।**"

(k) . उक्त अधिवक्ता एक झगढ़ालू किस्म का व्यक्ति है, जिसने दिनाँक 21. 02. 2022 को अपने साथी अधिवक्तागण रमेश यादव आदि के साथ बार के सम्मानित सचिव श्री छोटे लाल वर्मा के साथ बलवा, गाली- गलौच, व जान से मारने की धमकी देने का अपराध किया जिसकी दिनाँक 23. 03. 2022 को F. I. R. No. 0120 U/ ss 147, 504, 506, 427 I. P. C. व 3(2) (va) SC/ ST (P. A.) Act के तहत मुकददमा पंजीकृत हुआ । **(संलग्नक सं० 2/ 21 छायाप्रति)**

उक्त अधिवक्ता का उपरोक्त कृत्य यह दर्शाता है कि उक्त अधिवक्ता अपने पदीय कर्तव्यों से भिन्न व अपने पद की गरिमा के विपरीत कार्य कर रहा है जो अधिवक्ता आचरण के विपरीत है । उक्त अधिवक्ता अभियोजन का नहीं बल्कि अभियुक्त का हितैषी है, और अभियोजन पक्ष को गम्भीर रूप से प्रभावित करता है ।

(l) . उक्त अधिवक्ता ने मेरे न्यायालय में दिनाँक 04. 02. 2022 से दिनाँक 18. 02. 2022 तक अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में शासकीय कार्य नहीं किया, उसके बावजूद उक्त अधिवक्ता ने वेतन प्राप्त करने के लिये कूट रचित तरीके से बिल बाउचर तैयार कर भुगतान के लिये प्रेषित किया, जैसे ही यह तथ्य न्यायालय के संज्ञान में आया, न्यायालय द्वारा प्रभारी अधिकारी (सं० का०) / अपर

जिलाधिकारी (प्रशासन) झाँसी से उक्त अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बिल बाउचर की सत्यप्रलिपि की माँग की गयी। **(संलग्नक सं०- 3/ 27 लगायत 3/ 32 छायाप्रति)**

(m). उक्त अधिवक्ता द्वारा दिनाँक 04. 02. 2022 से दिनाँक 18. 02. 2022 तक मेरे न्यायालय में कोई भी शासकीय कृत्यों का निर्वहन नहीं किया गया और इस तथ्य को उक्त अधिवक्ता ने स्वयं भी स्वीकार किया है, जिसका उल्लेख मेरे द्वारा पैरा- **3 (i)** में किया गया है। उक्त अधिवक्ता द्वारा वेतन प्राप्त करने के लिये कूट रचित तरीके से बिल बाउचर तैयार कर भुगतान के लिये प्रेषित किया गया और अपने कृत कार्य के विवरणमें न्यायाधीश के हस्ताक्षर वाले कालम में दिनाँक 04. 02. 2022, 07. 02. 2022 से दिनाँक 18. 02. 2022 तक न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) (चौदहवीं वित्तीय आयोग के तहत गठित) झाँसी की मुहर का प्रयोग किया और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर के स्थान पर स्वयं के हस्ताक्षर किये, जब उक्त अधिवक्ता को इस तथ्य की जानकारी हुयी कि मुझ पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त अवधि के बिल बाउचर की सत्यप्रतिलिपि की माँग की गयी है , तब उक्त अधिवक्ता ने न्यायालय की मुहर को काट दिया तथा अपने हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर के बीच में जो थोड़ी सी खाली जगह बची थी वहाँ अपनी मुहर **A. D. G. C. (Crl.)** लगा दी, जबकि इस प्रकार की मुहर उक्त अधिवक्ता ने कहीं भी प्रयोग नहीं की और इस बिल बाउचर में भी उक्त अधिवक्ता ने स्वयं की जिस मुहर का प्रयोग किया है वह इस प्रकार है:-

" सन्तोष कुमार दोहरे
A. D. G. C. (Crl.)
न्यायालय A. S. J. No. 4
झाँसी (उ०प्र०)
मो० - 9415502206. "

इस प्रकार उक्त अधिवक्ता ने न्यायालय में दिनाँक 04. 02. 2022 से दिनाँक 18. 02. 2022 तक शासकीय कृत्यों का निर्वहन न करने के बावजूद न्यायाधीश के हस्ताक्षर के स्थान पर कूट रचित तरीके से स्वयं के हस्ताक्षर कर सरकारी धन को प्राप्त करने का प्रयास किया और बिल बाउचर प्रस्तुत किया । इस संबंध में थाना नवाबाद जिला झाँसी पर एक तहरीर दिनाँक 19. 04. 2018 को प्रस्तुत की गयी है। **(संलग्नक सं०- 3/ 33 लगायत 3/ 34 छायाप्रति)**

(n). उक्त अधिवक्ता के द्वारा मुकदमों की पैरवी एवं कार्यवाही किये जाने से न्यायालय की प्रतिष्ठा

एवं शाख पर प्रश्नचिन्ह की संभावना के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०- 4 झाँसी द्वारा दिनाँक 30. 03. 2022 को अपने न्यायालय से हटाये जाने हेतु जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) झाँसी को पत्र प्रेषित किया गया और जिसे जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) झाँसी ने उक्त न्यायालय से उक्त अधिवक्ता को हटा दिया।

4. यह कि श्री संतोष कुमार दोहरे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा अपने कुछ साथी अधिवक्ताओं चन्द्र शेखर शुक्ला, रमेश यादव व अन्य अधिवक्ताओं के साथ मिलकर दिनाँक 22. 02. 2022 को जबकि प्रदेश में आचार संहिता , जनपद झाँसी में धारा 144 दं०प्र०सं० लागू थी , न्यायालय परिसर में व न्यायालय कार्यावधि में शामियाना(टेन्ट) लगाकर धरना- प्रदर्शन, नारेबाजी व शोर- शराबा कराया गया जिसकी सूचना श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को मेरे द्वारा दि० 22. 02. 2022 को प्रेषित की गयी एवं अन्य सम्बन्धित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचना प्रेषित की गयी। **(संलग्नक सं० 4 छायाप्रति)**

5. यह कि श्री संतोष कुमार दोहरे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा अपने साथी अधिवक्ताओं चन्द्र शेखर शुक्ला, रमेश यादव व अन्य अधिवक्ताओं से साथ मिलकर दिनाँक 22. 02. 2022 से दिनाँक 24. 02. 2022 तक न्यायालय परिसर में न्यायालय कार्यावधि के दौरान शामियाना (टेन्ट) लगाकर धरना- प्रदर्शन, शोर- शराबा व नारेबाजी की जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित हुआ जिसका उल्लेख मेरे द्वारा सिविल अपील नं० 51/ 2019 ओम प्रकाश बनाम सन्तोष कुमार की पत्रावली में भी किया गया और जिसकी सूचना मेरे द्वारा अविलम्ब श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को दी गयी। **(संलग्नक सं० 5 छायाप्रति)** अधिवक्ताओं के उक्त कृत्य की जानकारी मेरे न्यायालय में कार्यरत श्री बाल्मीकि साहू (पेशकार), श्री अवध किशौर (कोर्ट मोहर्रिर), श्री देवेश श्रीवास्तव सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), श्री धनंजय कुमार पाल (आशुलिपिक), श्री मोहित शर्मा (अर्दली) व श्रीमती संगीता पटेल (अर्दली) को भी है।

6. उक्त अधिवक्ताओं ने धरना- प्रदर्शन में उन व्यक्तियों को भी शामिल कराया जो कि पेशे से अधिवक्ता ही नहीं हैं जिनमें फोटो चित्र सं० 4 में क्रम सं० 7 व 9 तथा फोटो चित्र सं० 5 में क्रम सं० 1 पर दर्शाया गया व्यक्ति है जिसका सही नाम अरूण कुमार रायकवार पुत्र चन्द्र मोहन रायकवार निवासी 208 कृष्णा नगर कालौनी नगरा थाना प्रेम नगर जिला झाँसी है और जो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो आपराधिक प्रवृत्ति का है। पुलिस आख्या संलग्नक 6/ 1 के अनुसार **" अभियुक्त उपरोक्त एक आपराधिक एवं दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसके भय व आतंक से आम जनता में डर है व**

8/18

भयभीत है। इसके विरूद्व थाने पर रिपोर्ट लिखाने एवं न्यायालय में गवाही देने से डरते हैं। संगीन घटना घटित कर शान्ति व्यवस्था भंग कर सकता है"(संलग्नक सं० 6/ 1 लगायत 6/ 3 छायाप्रति)

7. उक्त धरना- प्रदर्शन में एक भी ऐसा विद्वान अधिवक्ता शामिल नहीं है जिसका कि मुकददमा मेरे न्यायालय में विचाराधीन न हो बल्कि धरना- प्रदर्शन में वे अधिवक्ता शामिल हैं जिनका कोई भी मुकददमा मेरे न्यायालय में विचाराधीन ही नहीं है, और जिन पर चन्द्र शेखर शुक्ला, रमेश यादव व संतोष दोहरे का प्रभाव हैं और जो संभवतया रमेश यादव एडवोकेट, चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट आदि के जूनियर अधिवक्ता हैं। **(संलग्नक सं० 7/ 17/ 5 रंगीन छायाप्रति)**

उक्त धरना- प्रदर्शन न तो बार के अध्यक्ष श्री उदय राजपूत और न ही श्री छोटे लाल वर्मा सचिव द्वारा आयोजित किया गया बल्कि बार के अध्यक्ष व सचिव की अनुमति के बगैर जबरदस्ती तरीके से न्यायालय प्रांगड़ में आयोजित कराया गया जबकि इस अवधि में प्रदेश में आचार संहिता व झाँसी जिले में धारा 144 द्रं०प्र०सं० प्रवर्तन में थी।

8. यह कि मेरे न्यायालय में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के रूप में सर्व श्री तेज सिंह गौर लगभग 06 माह , श्री सूर्य प्रकाश पाठक लगभग 12 माह तक कार्यरत रहे और लगभग पिछले 02 माह से श्री देवेश श्रीवास्तव भी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के रूप में कार्यरत हैं लेकिन उनके कार्यरत रहने के दौरान किसी ने इस प्रकार का कोई झूठा व बनावटी आरोप न्यायालय पर नहीं लगाया जैसा कि स्वंय संतोष कुमार दोहरे द्वारा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के पद पर कार्यरत रहने के दौरान लगाया जा रहा है।

इससे स्वतः ज्ञात होता है कि श्री संतोष कुमार दोहरे न्यायालय के प्रति विद्वेष का भाव रखते हैं और न्यायिक कार्य में बाधा व व्यवधान कारित करने के लिए उनके द्वारा जो भी अवैधानिक तरीके प्रयोग में लाये जा सकते थे, उनके द्वारा उक्त तरीकों को प्रयोग में लाने का हर संभव प्रयास किया गया। यहाँ तक कि उक्त अधिवक्ता ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए दिनाँक 22. 02. 2022 से 24. 02. 2022 तक अपने साथी व अपराधी अधिवक्ता श्री चन्द्र शेखर शुक्ला व बार के पूर्व अध्यक्ष श्री रमेश यादव के साथ मिलकर न्यायालय परिसर में, न्यायालय कार्यावधि के दौरान धरना- प्रदर्शन, शोर- शराबा व नारेबाजी का कार्य करवाया जिससे न्यायालय पर अनुचित दवाब बनाया जा सके।

उक्त शासकीय अधिवक्ता ने जो भी शिकायतें की हैं, उनसे प्रथम दृष्टया यह ज्ञात होता है कि

(8/19)

उक्त अधिवक्ता अभियुक्त व उनके अधिवक्ताओं के सम्पर्क में रहता है और उक्त अधिवक्ता ने मेरे न्यायालय में नियुक्त न रहने के बाद भी मेरे न्यायालय में विचाराधीन पत्रावलियों को स्थानांतरित कराने के लिए अभियुक्त व उनके अधिवक्ताओं को भड़काया है जिसका उल्लेख मेरे द्वारा पैरा3 J (i), (ii) व (iii) में किया गया है। (संलग्नक छायाप्रतियाँ 3/ 20 लगायत 3/ 26)

उक्त अधिवक्ता ने अपने मोबाईल नं० 9415502206 से दिनाँक 24. 01. 2022 व दिनाँक 25. 01. 2022 को सिफारिश की जिसके बावत उक्त अधिवक्ता को मेरे द्वारा डाँटा गया जिससे उक्त अधिवक्ता बहुत अधिक उग्र हो गया और उसके पश्चात से ही उक्त अधिवक्ता ने मेरे खिलाफ झूठा, बनावटी व बड़ाचढ़ाकर शिकायती प्रार्थनापत्र स्वंय प्रस्तुत किया और अपने पद व गरिमा की मर्यादा के विपरीत जाकर रमेश यादव व चन्द्र शेखर शुक्ला के माध्यम से षड़यन्त्र के तहत न्यायालय परिसर में धरना- प्रदर्शन व नारेबाजी भी करवायी। उक्त अधिवक्ता द्वारा अपने जिस नम्बर से सिफासिश का संदेश प्रेषित किया उसकी पुष्टि उसके द्वारा प्रेषित बिल बाउचर की प्रति से होती है। (संलग्नक सं० 3/ 12, 3/ 13 व 3/ 30 लगायत 3/ 32 छायाप्रतियाँ)

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे इस प्रत्यावेदन को माननीय न्यायालय के समक्ष रखे जाने की कृपा करें तथा माननीय न्यायालय से निवेदन है कि मेरे द्वारा वर्णित उपरोक्त तथ्यों व संलग्न दस्तावेजों, तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय पर अनुचित दवाब बनाने के लिए झूठी व बनावटी शिकायत करने व दिनाँक 22. 02. 2022 से 24. 02. 2022 तक न्यायालय परिसर में शामियाना (टेन्ट) लगाकर धरना- प्रदर्शन, शोर- शराबा व नारेबाजी करने व न्यायिक कार्यवाही को बाधित करने पर 1. श्री संतोष कुमार दोहरे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) 2. अरविन्द मोहन एडवोकेट व फोटो चित्र सं० 01 में क्रम सं० 1. पर श्री रमेश यादव एडवोकेट, 2. श्री के० पी० श्रीवास्तव एडवोकेट, 3. श्री चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट, 4. शिरोमणि जैन एडवोकेट, 5. श्री शंकर सिंह कुशवाहा एडवोकेट, 6. श्री दया शंकर कुशवाहा एडवोकेट, 7. श्री रोशन एडवोकेट (देवेन्द्र सेन का जूनियर) 08. श्री चन्द्र शेखर साहू एडवोकेट व फोटो चित्र सं० 02 में क्रम सं० 01. पर श्री विकास यादव एडवोकेट व 03. श्री शिव कुमार निगम एडवोकेट, फोटो चित्र सं० 03 में क्रम सं० 01. पर श्री राजेश श्रीवास्तव एडवोकेट, 02. श्री अनिल खरे एडवोकेट, 03. श्री निजाम एडवोकेट, 04. श्री शमीम खान एडवोकेट, 05. श्री संदीप यादव एडवोकेट, 06. श्री केवल कृष्ण यादव एडवोकेट व फोटो चित्र सं० 04 में क्रम सं० 02 . पर श्री अजय मिश्रा एडवोकेट, 03. श्री प्रमोद मिश्रा एडवोकेट, 04. श्री महावीर शरण एडवोकेट 07. व 09. पर अरूण

कुमार रायकवार पुत्र चन्द्र मोहन रायकवार निवासी 208 कृष्णा नगर कालौनी नगरा थाना प्रेम नगर जिला झाँसी क्रम सं० 08. पर श्री अनिल खरे एडवोकेट व फोटो चित्र सं० 05 व फोटो चित्र सं० 01 लगायत 04 में दर्शित अन्य अधिवक्ताओं (जिनके नाम धरना-प्रदर्शन में शामिल व वर्णित अधिवक्तागण ही बता सकते हैं, जिनकी प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं है) के विरूद्ध अवमानना / उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

05.05.2022

(विमल प्रकाश आर्य)

दिनांक- 05. 05. 2022

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(F. T. C.) झाँसी।

(चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

श्रीमान जी

इस के साथ कोई संलग्नक नहीं लगाई है। इस सम्बन्ध में मेरी रिपोर्ट सिलबन्द भेजी गई थी। आज दि० 06.5.22 को जवाब दिये जाने पर मेरे द्वारा बिना संलग्नक के प्राप्त किया गया है।

06.5.22

Office of the District Judge, JHANSI
Letter No. 106 /XV Dated 09.05.22
FORWADED

DISTRICT JUDGE
JHANSI

8/21